UPMP010022522026

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 761/2026

सतेन्द्र कुमार पुत्र सुघरसिंह निवासी ग्राम नगला बीच थाना करहल,जिला मैनपुरी।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थी/अभियुक्त सतेन्द्र कुमार **की ओर से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 80/2026 अन्तर्गत धारा–105 बी.एन.एस. थाना–कुर्रा** जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, '' प्रार्थी/वादी मुकदमा विनोद कुमार पुत्र श्री तुलाराम ग्राम मझिगवाँ पो. गदनपुर तुर्रा थाना जहानगंज जिला फर्रूखाबाद का निवासी है। मेरी पुत्री अयांशी उम्र करीब 5 वर्ष जो अपने नाना राजकुमार उर्फ शिवदयाल पुत्र श्री सिकन्दर सिंह निवासी ग्राम बॉसक,थाना कुर्रा जिला मैनपुरी के यहाँ रहकर सी.आर.एस.प.स्कूल किरथुआ पुल के नीचे थाना करहल जनपद मैनपुरी में नर्सरी कक्षा में पढ़ती थी। दिनांक 13–05–2026 को स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को घर छोड़ने के लिए बस चालक,बस लेकर गॉव बाँसक आया करीब 02:30 बजे दिन में मेरी पुत्री अयांशी जैसे ही बस से उतरकर अपने घर जाने लगी तो बस चालक सतेन्द्र कुमार द्वारा यह जानते हुए कि मेरी बेटी छात्रा कु. अयांशी बस से उतरकर जा रही है,यदि बस आगे बढ़ा दी तो उसकी हत्या हो सकती है और बस को आगे बढ़ा दिया जिससे छात्रा अयांशी की बस के अगले व पिछले पहिया से कुचलकर मृत्यु हो गयी। हमे सुनने भी आया है कि सतेन्द्र कुमार उपरोक्त के पास वैध लाइसेंस नहीं है। स्कूल प्रबन्धक सुघर सिंह ने बिना जॉच किये ड्राइवर को अपने यहां नियुक्त किया है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।''

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे उक्त अपराध में झूठा गांव की रंजिश के कारण फंसाया गया है। वह पूर्णतः निर्दोष है, क्योंकि उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं किया गया है। उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त वाहन संख्या यू पी 84 टी 8784 का चालक हरगिज नहीं है और

न ही कथित घटना वाले दिन वह उक्त वाहन को चला रहा था। प्रार्थी का सी.आर.एस पब्लिक स्कूल किशनी रोड किरथुआ करहल में स्कूल स्थित है तथा उक्त विद्यालय के संचालक उसके पिता सुघरसिंह हैं। उसके पिता काफी वृद्ध हैं इस वजह से प्रार्थी ही समस्त लेखा जोखा का हिसाब करता है। दिनांक 13–05–2026 को स्कूल वाहन को वीनेश कुमार जो कि स्कूल बस का विधिवत चालक है तथा दिनांक 13–05–2026 को स्कूल बस को वीनेश कुमार ही चला रहे थे क्योंकि दो दिन बाद स्कूल बंद होने थे इस वजह से प्रार्थी स्कूल बस में बैठकर विद्यालय जा रहा था तथा स्कूल बस को वीनेश कुमार ही चला रहे थे परन्तु चालक वीनेश कुमार से आकस्मिक दुर्घटना होने के कारण वह बस छोड़कर भाग गया तथा प्रार्थी को पकड़कर चालक समझकर थाना पुलिस ने उसका झूठा चालान कर दिया। प्रार्थी के सी.आर.एस पब्लिक स्कूल की बस को हमेशा से वीनेश कुमार ही चलाते थे तथा वीनेश कुमार की नियुक्ति भी बस चालक के पद पर विद्यालय में हुई है तथाकथित घटना वाले दिन भी विद्यालय की बस को वीनेश कुमार के द्वारा ही चलाया जा रहा था तथा दिनांक 13–05–2026 को विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में भी वीनेश कुमार के हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट साबित है कि तथाकथित घटना वाले दिन वीनेश कुमार ही बस को चला रहे थे परन्तु दुर्घटना होने के कारण वीनेश कुमार भाग गये थे। वादी मुकदमा प्रार्थी के परिवार से रंजिश मानता है। इसी वजह से वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया है कि''हमें सुनने में भी आया है कि सतेन्द्र कुमार उपरोक्त के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।'' इसी वजह से वादी मुकदमा ने रंजिशन अभियुक्त के विरूद्ध सोच समझकर एक दिन देरी से उसे फंसाने के आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद अंकित कराई है, जबकि उसके द्वारा कोई भी घटना कारित नहीं किया गया है ।अभियुक्त उपरोक्त विद्यालय के संचालक का पुत्र होने के कारण दिनांक 13–05–2026 को बस में बैठकर विद्यालय जा रहा था तथा प्रार्थी उक्त विद्यालय में कार्यालय लिपिक के पद पर कार्यरत है। उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। घटना उक्त में जनता का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत देने को तैयार है और दौरान विवेचना कही नहीं भागेगा और जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी के अनुसार,'' वादी मुकदमा की पुत्री अयांशी उम्र करीब 5 वर्ष जो सी.आर.एस.प.स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ती थी। दिनांक 13–05–2026 को स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को घर छोड़ने के लिए बस चालक,बस लेकर गॉव बाँसक आया करीब 02:30 बजे दिन में मेरी पुत्री अयांशी जैसे ही बस से उतरकर अपने घर जाने लगी तो बस चालक सतेन्द्र कुमार द्वारा यह जानते हुए कि मेरी बेटी छात्रा कु. अयांशी बस से उतरकर जा रही है,यदि बस आगे बढ़ा दी तो उसकी हत्या हो सकती है और बस को आगे बढ़ा दिया जिससे छात्रा अयांशी की बस के अगले व पिछले पहिया से कुचलकर मृत्यु हो गयी।'' प्राथमिकी में अभियुक्त नामजद है। वादी मुकदमा व चश्मदीद साक्षीगण द्वारा विवेचक के समक्ष दिए गए बयानों में घटना की पुष्टि की है। अभियुक्त द्वारा बस चलाया जाना दर्शित किया गया है। वादी मुकदमा और

अभियुक्त के बीच पूर्व रंजिश का कोई प्रमाण नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Haemorrhagic shock due to antemortem head injury दर्शित किया गया है तथा मृतक के खोपड़ी और चेहरे पर कुचलने के कारण चोटे आना और दिमाग का हिस्सा बाहर आना अंकित किया गया है। अभियुक्त द्वारा लापरवाही से बस को चलाकर वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र 5 वर्ष को बस से उतरते समय बस को आगे बढ़ाया जिससे उसकी कुचलकर मृत्यु कारित करना कहा गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। मामले के तथ्य एवम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा योजित जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त सतेन्द्र कुमार द्वारा योजत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः24.06.2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.24 14:04:35 +0530